न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 131
दायरा तिथि : 12.04.2024
आदेश तिथि : 19-09-2024
प्रार्थी :–

रामसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी बोया तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 19-09-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बोया पटवार हल्का बोया तहसील बाली के खसरा नंबर 219 रकबा 2.1300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बोया पटवार हल्का बोया तहसील बाली के खसरा नंबर 237 रकबा 1.4800 हैक्टर व खसरा नंबर 238 रकबा 3.8300 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/959 दिनांक 11.07.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में आवेदक खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतू खसरा नंबर 237 व 238 में से आना–जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता सडक अथवा कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है। इससे कम दुरी का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि ग्राम बोया में रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1.	238	3.8300 हैक्टर	गै.मु.	40X5= 200 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

नोटः– आवेदक द्वारा खसरा नंबर 219 व 238 के मध्य स्थ्ति खसरा नंबर 237 (जिसमें से होकर आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आना जाना करता है) गै.मु. वाला है, जिसमें से बारिश के समय में आस–पास के खेतों के पानी की निकास होती है। वर्तमान में उक्त नाला सुखा पडा है। उक्त नाले में कोई अवरोध न हो इस संबंध में आवेदक से शपश पत्र लिया जाना अपेक्षित है। खसरा नंबर 237 व 238 के आंशिक रकबे कमशः 0.28 हैक्टर व 0.03 हैक्टर भूमि पर माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय (सिलिंग) का स्थगन आदेश प्रभावी है, हालांकि मौका अनुसार आवेदक के लिये प्रस्तावित भू–भाग, उक्त स्थगन वाले क्षेत्र में स्थित नहीं है।

4. यह कि भू–अभिलेख निरीक्षक, बाली की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित रास्ता की पंजीयन कार्यालय के अनुसार डीएलसी दर 448705 /– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर कोई भी निर्माण कार्य, ढाणी, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है। (बबूल की छोटी बडी कंटीली झाडियां खडी है)

3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/131

अनवान रामसिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

6. भू.अभिलेख निरीक्षक बाली से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अन्य विकल्प जो मौके पर मौजूद है, जहां से आवेदक को रास्ता दिया जा सकता है। ग्राम बोया के अन्य विकल्प में रास्ते के रूप में उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1700/214	0.0600 हैक्टर	चाही प्रथम जाव अव्वल	70X5=350 वर्गमीटर	1. दशरथसिंह पुत्र सरदारसिंह हिस्सा 1/4 2. भगवानसिंह पुत्र सरदारसिंह हिस्सा 1/4 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बाली 3. रामसिंह पुत्र सरदारसिंह हिस्सा 1/4 4. श्रवणसिंह पुत्र सरदारसिंह हिस्सा 1/4 राहिन यूनियन बैंक.ऑफ इंडिया बाली जातिगण राजपूत सा. देह खातेदार

7. प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू-भाग पर कोई भी निर्माण कार्य, ढाणी, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है। (बबूल की छोटी बडी कंटीली झाडियां खडी है)
8. यह कि भू-अभिलेख निरीक्षक, बाली की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित रास्ता की पंजीयन कार्यालय के अनुसार डीएलसी दर 330826 /- रूपये प्रति हैक्टर है।

प्रकरण के चलते माधोसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी बोया तहसील बाली द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जो हितबद्ध पक्ष नहीं है। जिससे माधोसिंह द्वारा पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हितबद्ध पक्ष नहीं होने से खारिज किया जाता है। इसके साथ ही माधोसिंह ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित रिट में पारित आदेश की प्रति पेश की जिसके अनुसार स्थगन होना बताया परंतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश प्रति के अनुसार कोई स्थगन नहीं है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययंन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बोया पटवार हल्का बोया तहसील बाली के खसरा नंबर 219 रकबा 2.1300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/959 दिनांक 11.07. 2024 से नया रेकर्डेड रास्ता करने के साथ ही वैकल्पिक रास्ता भी प्रस्तावित किया गया है। वैकल्पिक रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल आवेदित रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल से ज्यादा है। धारा 251 ए के अंतर्गत निकटतम रास्ता दिये जाने के प्रावधान है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बोया पटवार हल्का बोया तहसील बाली के खसरा नंबर 219 रकबा 2.1300 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम बोया पटवार हल्का बोया तहसील बाली के खसरा नंबर खसरा नंबर 238 रकबा 3.8300 हैक्टर में से **200 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राषि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 330826/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
238	3.8300 हैक्टर	40X5= 200 वर्गमीटर	34	6800X2=13600	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

3

पेज लगातार.........03

Scanned with CamScanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/131

अनवान रामसिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 13600/– (अक्षरे तेरह हजार छः सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

ग्राम बोया के खसरा नंबर 219 व 238 के मध्य खसरा नंबर 237 किस्म गै.मु. वाला जिसमें से बारिस के समय में आस पास के खेतों के पानी की निकासी होती है जो वर्तमान में सूखा पडा है। उक्त नाले में बिना जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता एवं किसी भी प्रकार की संरचना जो जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करें उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। इन निर्देशों की अनुपालना में प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया है। तहसीलदार बाली उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2024/2011-2015

दिनांक : 19-09-2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1.तहसीलदार, बाली
2.निरीक्षक भू0अ0 बाली
3.पटवारी हल्का, बोया
4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5.आवेदक श्री रामसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपूत निवासी बोया तहसील बाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

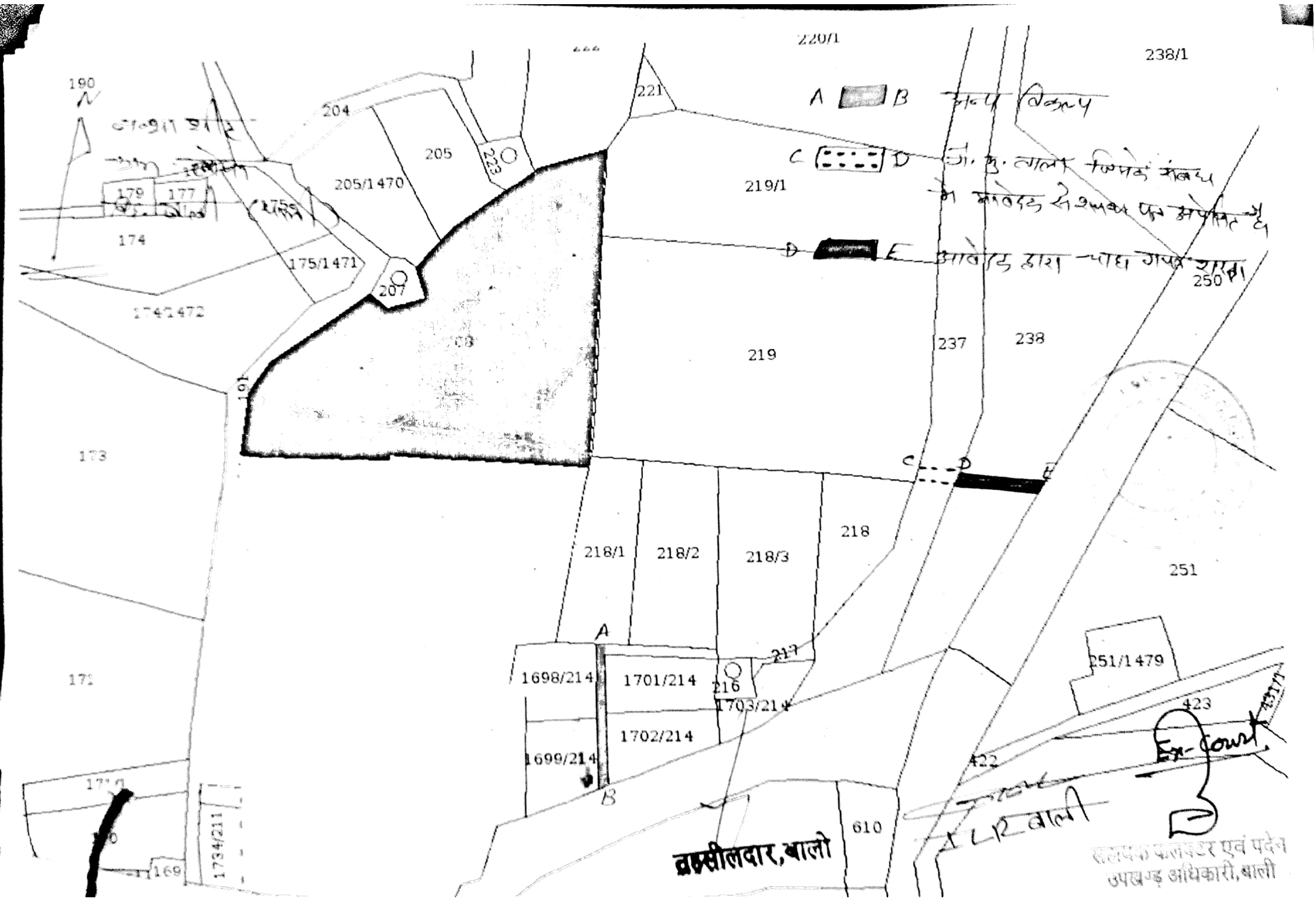

Scanned with CamScanner